Gyan Sky

ज्ञान हमेशा
बढ़ाते रहो

JOIN US TODAY!

WhatsApp

Telegram

Instagram

Gyansky.com

(संशोधित)

पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रेषित (carry forward) नही किये जायेगे, और ऐसे रिक्त पद को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिला से भी नही भरा जायेगा, ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए वह आरक्षित है।

16. यात्रा भत्ता -

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्य्‍र्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा में उपस्थित होने पर उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्य्‍र्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्य्‍र्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।

(2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषत: आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सभी अभ्य्‍र्थी संलग्न प्रारूप में अपना बैंक खाता विवरण एवं सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से परीक्षा केन्द्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

17. निरर्हता -

(1) मण्डल अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। मण्डल ऐसे रद्द कर दिए गए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(2) (क) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या जिसकी पती जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेता है, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे पुरूष अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ख) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह केवल इस कारण से पंजीकृत नहीं हो सका हो कि उसके पति की एक से अधिक जीवित पुत्रियाँ हैं या उसकी एक पती जीवित है और वह पुनर्विवाह कर लेती है ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार का यह समाधान न हो जाए कि ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण या औचित्य है और इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम से छूट दी जा सकेगी।

(ग) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है।

संशोधित

अध्याय - 2

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के अंतर्गत पर्यवेक्षक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती एवं खुली सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण

पद कोड 01 - पर्यवेक्षक - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती (बैकलॉग) सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व	संविदा कर्मी हेतु	योग	दिव्यांग
		महिला	महिला	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 VH, 01 EH, 00 LD एवं 00 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	0	0	0	0	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	3	0	0	3	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	5	0	0	5	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	0	0	2	
	योग	**10**	**0**	**0**	**10**	

वेतनमान- 25300-80500

न्यनतम शैक्षणिक योग्यता:- हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 (बारहवी), वांछनीय अनुभव आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव (केवल म.प्र. की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु)

नोट:- आंगनवाड़ी सहायिका/आशा कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता पात्र नहीं होगी ।

पद कोड 02 - पर्यवेक्षक - खुली सीधी भर्ती (बैकलॉग) (सिर्फ महिलाओं हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी हेतु	योग	दिव्यांग
		महिला	महिला	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	दिव्यांगों की कुल 02 रिक्तियों में से 00 VH, 00 EH, 01 LD एवं 01 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	0	0	0	0	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	1	0	2	3	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	0	2	4	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	1	0	1	2	
	योग	**4**	**0**	**5**	**9**	

वेतनमान- 25300-80500

न्यनतम शैक्षणिक योग्यता:-

01. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।

02. खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा एवं संविदा पर्यवेक्षकों को अनुभव का लाभ दिया जावेगा। जिसमें प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिये 04 अंक तथा 05 वर्ष उससे अधिक की सेवा के लिये अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे ।

03. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-5-2/2018/1/3 दि. 22 जुलाई 2023 की कंडिका 1.3.1 अनुसार-विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदो पर 05 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद पर अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद दोनो में से जो कम हो संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये आरक्षित रखे गये है।

04. विभागीय संविदा पर्यवेक्षको के उक्त भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने पर उक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 में उल्लेखित कार्यानुभव के अंक का लाभ अथवा संविदा नीति 2023 अनुसार संविदा कर्मचारी का आरक्षण का लाभ दोनो में से किसी एक के लिये विकल्प देना होगा। एक साथ दोनो लाभ प्राप्त नही हो सकेगे।

संशोधित

पद कोड 03 - पर्यवेक्षक - आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती
(सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी हेतु	योग	दिव्यांग
		महिला	महिला	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	87	0	0	87	दिव्यांगों की कुल 28 रिक्तियों में से 07 VH, 07 EH, 07 LD एवं 07 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	32	0	0	32	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	51	0	0	51	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	64	0	0	64	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	87	0	0	87	
	योग	321	0	0	321	

वेतनमान- 25300-80500

न्यनतम शैक्षणिक योग्यता:-

हायर सेकेण्डरी अथवा (10+2) (बारहवी), वांछनीय अनुभव आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदक के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर निरंतर पूर्ण 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव (केवल म.प्र. की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु)

नोट:- आंगनवाड़ी सहायिका/आशा कार्यकर्ता/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता पात्र नहीं होगी ।

अन्य पिछडा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार 87 प्रतिशत पदों की मुख्य आरक्षण तालिका

	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी हेतु	योग	दिव्यांग
		महिला	महिला	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	87	0	0	87	दिव्यांगों की कुल 28 रिक्तियों में से 07 VH, 07 EH, 07 LD एवं 07 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	32	0	0	32	
3.	अनुसूचित जाति (SC)	51	0	0	51	
4.	अनुसूचित जनजाति (ST)	64	0	0	64	
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	45	0	0	45	
	योग	279	0	0	279	

शेष 13 प्रतिशत पदों की प्रावधिक/काल्पनिक आरक्षण तालिका

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व	संविदा कर्मी	योग	दिव्यांग
		महिला	महिला	महिला		
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (प्रावधिक)	42	0	0	42	निरंक
2.	अनारक्षित (UR) (काल्पनिक)	42	0	0	42	

पद कोड 04 - पर्यवेक्षक - खुली सीधी भर्ती
(सिर्फ महिलाओं हेतु)

सक्र.	श्रेणी	निल	भूतपूर्व सैनिक	संविदा कर्मी हेतु	योग	दिव्यांग
		महिला	महिला	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	31	8	39	78	दिव्यांगों की कुल 24 रिक्तियों में से 06 VH, 06 EH, 06 LD एवं 06 MD निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	11	3	15	29	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	18	5	23	46	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	23	6	29	58	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	30	8	39	77	
	योग	113	30	145	288	

वेतनमान- 25300-80500

न्यनतम शैक्षणिक योग्यता:-

01. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।
02. खुली सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा एवं संविदा पर्यवेक्षकों को अनुभव